



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं0 पटना 309) पटना, बृहस्पतिवार, 28 फरवरी 2019

---

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 फरवरी 2019

एस०ओ० 45, दिनांक 28 फरवरी 2019—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 22(h) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधित एवं योग्य निर्माण कामगारों एवं उनके नामितों/आश्रितों के हितार्थ अनुदान में वृद्धि एवं नयी योजना को प्रारम्भ करने का प्रावधान करती है, जो निम्नवत् है :-

1. **मृत्यु लाभ** :- “स्वाभाविक मृत्यु” के मामलों में निबंधित निर्माण कामगार के नामितों/ आश्रितों को दी जानेवाली लाभ की राशि ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख) को बढ़ाकर ₹2,00,000/- (रुपये दो लाख) करने का प्रावधान किया जाता है।

2. **पेंशन** :- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम-272 के अनुसार पेंशन के लिए अर्हताएं के अन्तर्गत “इस कोष के ऐसे सदस्य, जो इन नियमों के प्रभावी होने के बाद **कम से कम एक वर्ष की अवधि** (भवन कर्मकार के रूप में) पूरा कर चुके हों, 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद, पेंशन के हकदार हो जाएंगे” में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

“इस कोष के ऐसे सदस्य, जो इन नियमों के प्रभावी होने के बाद **कम से कम पाँच वर्ष की अवधि** (भवन कर्मकार के रूप में) पूरा कर चुके हों, 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद, पेंशन के हकदार हो जाएंगे”

3. **मातृत्व लाभ** :- निबंधित महिला निर्माण कामगारों को प्रथम दो प्रसव तक भुगतान की जानेवाली राशि ₹10,000/- (रुपये दस हजार) के स्थान पर प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि मातृत्व लाभ के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया जाता है।

**4. नकद पुरस्कार** 1- प्रत्येक वर्ष सभी जिलों के तीन निबंधित निर्माण कामगारों के एक पुत्र एवं एक पुत्री को, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अपने जिला में अधिकतम अंक प्राप्त किया हो, को क्रमशः ₹25,000/-, ₹15,000/- एवं ₹10,000/- के नकद पुरस्कार का प्रावधान किया जाता है, को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :-

“प्रत्येक वर्ष सभी जिलों के निबंधित निर्माण कामगार के अधिकतम दो संतानों को बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में 80% तथा उससे अधिक, 70% से 79.99% तथा 60% से 69.99% तक अंक प्राप्त करने पर क्रमशः ₹25,000/- (रुपये पच्चीस हजार), ₹15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार) एवं ₹10,000/- (रुपये दस हजार) राशि नकद पुरस्कार के रूप में देने का प्रावधान किया जाता है। नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्तीर्णता वाले वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह (माह मार्च) तक अंक पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक होगा। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।”

**5. पितृत्व लाभ** 1- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 271 में नियम 271 (क) अंतःस्थापित किया जाता है। इसके अन्तर्गत निबंधित पुरुष निर्माण कामगार की पत्नी, जो निबंधित निर्माण श्रमिक नहीं हैं, के प्रथम दो प्रसवों के लिए निबंधित निर्माण श्रमिकों को ₹6,000/- (रुपये छः हजार) प्रति प्रसव की दर से पितृत्व लाभ की राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया जाता है। यह लाभ निबंधित पुरुष निर्माण कामगार की पत्नी के प्रसव से संबंधित शिशु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा अस्पताल प्रसव प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त होगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रपत्र - xxxiv(क) में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

कंडिका 1 से 5 तक में वर्णित लाभ केवल बोर्ड के अधीन निबंधित एवं योग्य कामगार को देय होगा।

उपरोक्त योजनाओं के लिए अन्य शर्तें जो कि “बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005” एवं “बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016” में परिभाषित हैं, पूर्ववत् रहेगी।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा व्यक्ति को अग्रसारित किया जाय।

(सं०-बी.सी.डब्लू.सी.-171/2018-112/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप सचिव।

26 फरवरी 2019

एस०ओ० 45, दिनांक 28 फरवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०-बी.सी.डब्लू.सी.-171/2018-112/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सूर्यकान्त मणि,

सरकार के उप सचिव।

**The 26<sup>th</sup> February 2019**

S.O.- 45, dated 28<sup>th</sup> February 2019—In exercise of power conferred by section 22(h) of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and 284 – A of Bihar Building and Other Construction Worker (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rule, 2016, the Government of Bihar makes following provisions to enhance the grants and to initiate a new scheme for the welfare of registered eligible construction workers and their nominees/dependents :-

**1. Death Benefit.**—In case of “Natural Death”, the amount of grant provided to nominees/dependents is enhanced from Rs. 1,00,000/- (One Lakh) to Rs. 2,00,000/- (Two Lakh).

**2. Pension.**—The eligibility for pension as described in Rule 272 of Bihar Building and Other Construction Worker (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rule, 2005, “A member of the fund, who has been working as a building worker for **not less than one year** after the commencement of these rule, shall be eligible for pension on completion of sixty years of age” is amended as below :-

“A member of the fund, who has been working as a building worker for **not less than five year** after the commencement of these rule, shall be eligible for pension on completion of sixty years of age.”

**3. Maternity Benefit.**—In place of Rs. 10,000/- (Ten thousand) as maternity benefit, an equivalent amount of the wages of ninety days of minimum wages rate laid down for unskilled workers by State Government on the date of delivery is provisioned for the registered female construction workers after delivery of first two children.

**4. Cash Award.**—The Cash Award of Rs. 25,000/-, Rs.15,000/- and Rs. 10,000/- for the sons and daughters of three registered construction workers in every District for scoring highest marks in matric examination conducted by Bihar School Examination Board every year is amended as below :-

“The cash award of Rs. 25,000/- (Twenty five thousand), Rs. 15,000/- (Fifteen thousand) and Rs. 10,000/- (Ten thousand) shall be given to the maximum two children of the registered construction workers for scoring 80% and above, 70% to 79.99% and 60% to 69.99% marks respectively in the examinations of class 10<sup>th</sup> and class 12<sup>th</sup> conducted by any Board in the State of Bihar. An application in Form – XLIII shall be submitted with the mark sheet of the Board upto the last month (March) of the financial year of passing the examination. No application will be accepted after the lapse of this period.

**5. Paternity Benefit.**— Rule 271 (a) is embedded in Rule 271 of Bihar Building and Other Construction Worker (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rule, 2005. For the first two deliveries of the wife of registered male construction worker, who is not registered under Board, a sum of Rs. 6,000/- (Six thousand) per delivery shall be given to registered male construction worker as Paternity Benefit. This shall be payable on the basis of birth certificate or certificate issued by the hospital for the delivery of the wife of registered construction worker and this will be additional to the grant under other Government schemes. An application for Paternity Benefit shall be submitted in Form – xxxiv(a).

The benefits described in para 1 to 5 will be payable to registered and eligible construction workers under Board only.

Other Conditions in respect of the above schemes, which are defined in the Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Rules, 2005 and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) (Amendment) Rules, 2016 will remain same.

(No. BCWC-171/2018-112/LR)

By order of the Government of Bihar,  
SURYA KANT MANI,  
Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 309-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>